

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 363/2010/जयपुर

मैसर्स रेलिस इण्डिया.लि.

जयपुर

प्रार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

घट-प्रथम प्रतिकरापवचन, आबूरोड

अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री अलकेश शर्मा

अभिभाषक

श्री एन.के.बैद

उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक: 28-10-2014

प्रार्थी की ओर से

अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

यह अपील प्रार्थी व्यवसायी की ओर से उपायुक्त(अपील्स)चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर(जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 214/अपील्स-चतुर्थ/07-08/ई में पारित आदेश दिनांक 13.01.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, प्रतिकरापवचन, आबूरोड(जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 5,97,870/- को यथावत रखा है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 11. 12.2007 को वाहन संख्या आर. जे.07-जी 4998को आबूरोड तिराहा के पास रुकवाकर चेक किया। वाहन में माल के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक श्री श्यो प्रकाश ने डी आर टी सी लिमिटेड का चालान नम्बर 2/34473 मय 6 बिल्टियॉ एवं 2/34474 मय 3 बिल्टियॉ, साउथ ईस्टर्न रोडवेज, बंगलौर की बिल्टी संख्या 9665095 दिनांक 3.12.2007, मैसर्स रेलिस इण्डिया लिमिटेड, लोटे परशुराम-खेड जिला नतनागिरी (महाराष्ट्र)का बिल नम्बर 606 दिनांक 03.12.2007 एवं मैसर्स रेलिस इण्डिया लिमिटेड लोटे परशुराम-खेड जिला नतनागिरी (महाराष्ट्र) के लेटर पेड पर अंकित सर्टिफिकेट ऑफ एनालिशेस एवं गेट पास नम्बर 666 दिनांक 3.1.2.2007 जिसमें माल 'Acephate 75 s.p' स्टॉक ट्रांसफर रेलिस इण्डिया लिमिटेड श्रीगंगानगर डिपो अंकित है तथा घोषणा पत्र एस टी 18ए नम्बर 0637611आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया कि साउथ ईस्टर्न रोडवेज, बंगलौर की बिल्टी संख्या 9665095 दिनांक 03.12.2007 के जरिए मैसर्स रेलिस इण्डिया लिमिटेड लोटे परशुराम तालुका-खेड जिला नतनागिरी (महाराष्ट्र) द्वारा

बिल नम्बर 606 दिनांक 3.12.2007 के द्वारा माल Acephate 75 s.p (ऐस्टीसाइड्स) वजन 6420 किलोग्राम स्टॉक ट्रांसफर के रूप में रेलिस इण्डिया लिमिटेड श्रीगंगानगर डिपो के लिए परिवहन किया जा रहा है, जिसके साथ अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपष्टित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 (जिसे आगे नियम कहा जायेगा) के नियम 53(1)(ii) के प्रावधानों के अनुसार घोषणा प्रपत्र वैट-47 होना आवश्यक है, किन्तु वाहन चालक द्वारा घोषणा प्रपत्र वैट-47 ना प्रस्तुत कर घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए प्रस्तुत किया है, जो चलन में नहीं है तथा जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपष्टित नियम 53(1)(ii) के प्रावधानो का उल्लंघन मानकर अधिनियम की धारा 76 (5) के अन्तर्गत माल को डिटेन किया जाकर डिटेनेशन भीमों की प्रति वाहन चालक एवं माल प्रभारी को दी गयी। तत्पश्चात अधिनियम की धारा 76(6) सपष्टित नियम 53(1)(ii) के प्रावधानो के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से श्री हर्षद पटेल सीनियर अकाउन्ट मैनेजर ने उपरिधित होकर अधिनियम की धारा 76 (7) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बनाने हेतु निवेदन किया, जिसे स्वीकार किया गया। श्री पटेल ने नोटिस की पालना में जवाब के साथ वैट-47 नम्बर 0555427 प्रस्तुत किया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब पर विचार करते हुए प्रस्तुत वैट-47 संख्या 0555427 को स्वीकार किये जाने योग्य नहीं मानते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के प्रकरण सिविल अपील संख्या 5197/2005 निर्णय दिनांक 03.08.2007 के प्रकाश में अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपष्टित नियम 53(1)(ii) के प्रावधानो का उल्लंघन मानकर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रु. 5,97,870/-आरोपित कर आदेश दिनांक 14.12.2007 पारित किया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 14.12.2007 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने अपील अस्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को यथावत रखकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2010 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त चेकिंग परिवहनित माल के दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत विहित वांदित दस्तावेज यथा चालान्स, बिल्टीज, इनवाईसेस एवं घोषणा पत्र एस टी 18ए प्रस्तुत किये गये हैं, परन्तु

वैट-47 के स्थान पर घोषणा पत्र एस टी 18ए प्रस्तुत किया गया है। उनका कथन है कि नोटिस की पालना में नया वैट-47 संख्या 0555427 प्रस्तुत कर दिया गया है, इसलिए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करना अविधिक है। उनका कथन है कि जानकारी के अभाव में फर्म के कलर्क द्वारा वैट-47 के स्थान पर घोषणा प्रपत्र एस टी 18ए संलग्न कर दिया गया है, जो तकनीकी गलती है, जिसमें उसकी कोई करापवचन की मंशा नहीं थी। उनका कथन है कि वक्त जांच प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी ने उन्हें फर्जी या झूठे साबित नहीं किया गया है और ना ही कर चोरी की मंशा का दोषीमनोभाव प्रमाणित किया है, इसलिए तकनीकी गलती के कारण अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करना विधिक नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने उक्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने कर निवेदन किया।

प्रत्यर्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं विद्वान अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त चेकिंग प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए प्रस्तुत किया गया, जो चलन में नहीं है, इसके अतिरिक्त उक्त घोषणा पत्र में वाहन संख्या जीजे-9वाई-6053 अंकित की गई है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहन संख्या आर.जे.07-1जी-4998 को रुकवाकर चेक किया गया है। उन्होंने बताया कि नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से वैट-47 संख्या 055527 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वाहन संख्या जीजे-9 वाई-6053 एवं वाहन संख्या आर.जे.07-1जी-4998 दोनों अंकित की गई है। उनका कथन है कि उक्त प्रकार से प्रस्तुत घोषणा पत्र एस टी 18ए एवं वैट-47 में भिन्न-भिन्न वाहन संख्या अंकित होने से स्पष्ट होता है कि व्यवहारी को इसकी जानकारी नहीं है कि माल किसी वाहन संख्या से परिवहनित होकर आया है, इस प्रकार उसके द्वारा की गई कार्यवाही पूर्ण रूप से बाद की सोच हुई युक्ति (after thought) है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण के उक्त तथ्यों के होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के प्रकरण सिविल अपील संख्या 5197/2005 निर्णय दिनांक 03.08.2007 के प्रकाश में अधिनियम की धारा 76(2)(बी) संपादित नियम 53(1)(ii) के प्रावधानों का उल्लंघन मानकर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रु. 5,97,870/- आरोपित की है, जो पूर्णतः विधिक है। उन्होंने उक्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि साउथ इस्टर्न रोडवेज, बैंगलोर की बिल्टी

संख्या 9665095 दिनांक 3.1.2.2007 के जरिए मैसर्स रेलिस इण्डिया लिमिटेड, लोटे परशुराम तालुका खेड जिला रतनगिरी (महाराष्ट्र) द्वारा बिल नम्बर 606 दिनांक 3.12.2009 के द्वारा Acephate 75 S.P. (पेस्टीसाइड्स) वजन 6420 किलोग्राम स्टॉक ट्रांसफर के रूप में रेलिस इण्डिया लिमिटेड ब्रांच श्रीगंगानगर डिपो को माल परिवहनित किया जा रहा था। वक्त चेकिंग दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए संख्या 0637611 पाया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान वैट नियम 53 (1)() तथा अधिनियम की धारा 76 (2)(बी) के प्रावधानों के अनुसार वक्त चेकिंग घोषणा प्रपत्र वैट-47 चलन में होने के कारण घोषणा पत्र एस टी 18ए संख्या 0637611 को अस्वीकार कर नोटिस जारी किये जाने पर, नोटिस के प्रत्युत्तर में वैट-47 संख्या 0555427 प्रस्तुत किया गया था, जिसको दिनांक 03.12.2007 को जारी करना व्यक्त किया गया। उक्त वैट-47 में दो वाहन संख्या जीवाई-9 वाई- 6053 के साथ वाहन संख्या आरजे 07-1जी-4998 भी अंकित की गई है, जो यह इंगित करती है कि अपीलार्थी व्यवहारी को माल व वाहन के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी नहीं थी, किस वाहन संख्या से माल का परिवहन किया जा रहा है।

प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा नोटिस के जवाब के साथ वैट-47 प्रस्तुत करना पश्चातवर्ती विचार है। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के प्रकरण सिविल अपील संख्या 5197 / 2005 में पारित निर्णय दिनांक 03.08.2007 में प्रतिपादित सिद्धान्त पूर्णतया वर्तमान प्रकरण में लागू होते हैं। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से उन्हें यथावत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)

सदस्य